रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1870] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 9, 2010/भाद्र 18, 1932
No. 1870] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 9, 2010/BHADRA 18, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2010

का.आ. 2216(अ).—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, सहायक पुलिस आयुक्त को उनके प्रभार में आने वाले पुलिस सब-डिवीजन के संबंध में, पुलिस आयुक्त, दिल्ली के सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 144 के अंतर्गत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने तथा दायित्वों का निर्वहन करने की शक्ति प्रदान करती है ।

[फा. सं. 11036/1/2010-यू टी एल]

बी. भामथी, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2010

S.O. 2216(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 70 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Central Government hereby empowers the Assistant Commissioner of Police, to exercise and perform, in relation to the police sub-division under his charge, the powers and duties of an Executive Magistrate under Section 144 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), subject to the general control of the Commissioner of Police, Delhi.

[F. No.11036/1/2010-UTL]

B. BHAMATHI, Addl. Secy.

3560 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.